न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : हवाई सिंह यादव
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 21/2023

भागचंद्र पुत्र अर्जुन जाति जाट निवासी जैतपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।

आवेदक

बनाम

1. रामधन पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी जैतपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
2. मणी देवी पत्नी मूलचंद जाति जाट निवासी जैतपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
3. विक्रम सिंह पुत्र मूलचंद जाति जाट निवासी जैतपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
4. विकास कुमार पुत्र मूलचंद जाति जाट निवासी जैतपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
5. सुनिल कुमार पुत्र मूलचंद जाति जाट निवासी जैतपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
6. पतासी पत्नी अर्जुन जाति जाट निवासी जैतपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
7. सुभाषचन्द पुत्र अर्जुन जाति जाट निवासी जैतपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
8. सत्यवीर पुत्र अर्जुन जाति जाट निवासी जैतपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
9. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा धनूरी जरिये शाखा प्रबन्धक।
10. केनरा बैंक शाखा झुन्झुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।
11. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर

अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

दिनांक 23.08.2023

संक्षेप मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम जैतपुरा पटवार हल्का हमीरीकलां की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 194 रकबा 1.60 है0, ख0न0 299 रकबा 4.10 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 5.70 है0 भूमि अवस्थित है। इसी प्रकार ग्राम जैतपुरा पटवार हल्का हमीरीकलां की सरहद में भूमि ख0न0 298 रकबा 0.04 है0, ख0न0 464/299 रकबा 3.95 है0, ख0न0 456/194 रकबा 1.70 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 5.69 है0 भूमि अवस्थित है। खसरा नम्बर 299 अर्जुनराम व रेखाराम दोनो भाईयों की खातेदारी काश्तकारी की भूमि थी तथा अर्जुनराम व रेखाराम के वारिसों द्वारा जब विभाजन हुआ तब खसरा नम्बर 299 के दो टुकड़े हुये। पहला ख0न0 299 रकबा 4.10 है0 तथा दूसरा ख0न0 464/299 रकबा 3.95 है0 बना। ख0न0 299 में आने हेतु ख0न0 264/299 में से रास्ता था जो वर्तमान में भी है। उक्त रास्ता प्रार्थी के खेत में जाने का एक मात्र रास्ता है इसके अलावा प्रार्थी के खेत में जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। इसलिये आवेदक उक्त रास्ते को नजरी नक्शे में दर्शित मार्क ए से बी 4 मीटर चौड़ा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है। अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदक को अपने खेत ख0न0 299 में जाने के लिये खेत ख0न0 264/299 में से गै0मु0 रास्ते तक नजरी नक्शे में दर्ज अनुसार मार्क ए से बी तक 4 मीटर चौड़ा रास्ता कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो उतर देने के लिए निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर जवाब पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। अनावेदकगण संख्या 2 लगायत 8 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर बिना किसी प्रतिफल के रास्ता दिया जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। अनावेदक संख्या 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि अनावेदक संख्या 1 की रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले प्रतिफल के रूप में भूमि दिये जाने पर रास्ता दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

जवाब देही पूर्ण होने के बाद बहस विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी जमीन के बदले डी.एल.सी. दर के अनुसार नियमानुसार प्रतिफल राशि देने में सहमत है। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जमीन के बदले जमीन देने पर रास्ता देने में सहमत है। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 8 बिना प्रतिफल के रास्ता देने में सहमत है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पष्ट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहूंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि –

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और
2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहूंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सींमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लधुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नय मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित-रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक ने अपनी खातेदारी काश्तकारी भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की भूमि में से रास्ता चाहा गया है। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 8 बिना किसी प्रतिफल के रास्ता देने के लिये सहमत है अप्रार्थी संख्या 1 जमीन के बदले जमीन देने पर रास्ता देने में सहमत है। परन्तु प्रार्थी जमीन के बदले डी.एल.सी. दर के अनुसार नियमानुसार प्रतिफल राशि देने में सहमत है। अतः तमाम तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार किया जाता है। आवेदक को खेत खसरा नम्बर 299 में आने–जाने के लिये खेत खसरा 264/299 में से नजरी नक्शे में दर्शित बिन्दु ए से बी तक 4 मीटर चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार मलसीसर को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 1 की रास्ते में आने वाली भूमि की डी.एल.सी. की दोगुना दर से राशि आवेदक से वसूल कर अनावेदक संख्या 1 को दी जावे। तदनुसार राशि जमा होने पर रास्ता राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता कायम किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/8/23

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर